तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/10/15	वकील फरीकैन उपस्थित। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आदेश पारित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से बाद होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:—12/16 तारीख रजु:—30.08.16

1— चंवरसिंह उम्र 79 साल पुत्र केशरी सिंह जाति राजपुत निवासी मांची तहसील व जिला करौली (राज0) (मृतक)

1/1— घनश्यामसिंह
1/2— करनसिंह
1/3— गुमानसिंह
1/4 रोशन सिंह
— पुत्रान चंवरसिंह

1/5— वेदवती
1/6— तुलसी कंवर
— पुत्रीयान चंवरसिंह

1/7— रामकंवर पत्नि स्व0 चंवरसिंह

— जातियान राजपूत निवासीयान मांची तहसील व जिला करौली (राज0)

2— मातवरसिंह उम्र 75 साल पुत्र केशरी सिंह जाति राजपूत निवासी मांची तहसील व जिला करौली

3—बाबूसिंह पुत्र राजपालसिंह उम्र 65 साल जाति राजपूत निवासी मांची करौली (मृतक)

3/1 कमल सिहं जादौन
3/2 नरेन्द्र सिहं
— पुत्रान बाबूसिंह

3/3 सुनीता देवी
3/4 गीता देवी
3/5 आरती कंवर
3/6 ज्योति जादौन
— पुत्रीयान बाबूसिंह

3/7 कुसमादेवी पत्नि स्व0 बाबूसिंह

— जतियान राजपूत निवासीयान मांची तहसील व जिला करौली (राज0)

4— चन्दनसिंह पुत्र देवीसिंह उम्र 52 साल जाति राजपूत निवासी मांची तहसील व जिला करौली (राज0)

——अपीलांट

बनाम

1— प्रेमादेवी वेवा नवावसिंह उम्र 78 साल

2— जगमोहन उम्र 54 साल
3— चोर सिंह उम्र 52 साल
4— सामौद उम्र 48 साल
— पुत्रान नवाव सिंह

5— सुखदेव सिंह उम्र 44 साल
6— शिवराम सिंह उम्र 40 साल
— पुत्रान नारायणसिंह

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

7 राधा उम्र 50 साल
8 सीमा उम्र 46 साल | पुत्रीयान नारायण सिंह
9 सुमन उम्र 42 साल

10— कमलेश पत्नि स्व0 नारायण सिंह उम्र 70 साल

सभी जातियान— राजपूत निवासीयान — मांची तहसील व जिला करौली (राज0)

11— मेघराम पुत्र जवालीराम उम्र 70 साल जाति जाटव निवासी मांची तहसील व जिला करौली (राज0)

12— ग्राम पंचायत मांची जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मांची तहसील व जिला करौली (राज0)

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील नाराजगी निर्णय दिनांक 20.5.2000 न्यायालय ग्राम पंचायत मांची जिसकी रूह से नामान्तकरण संख्या 570 ग्राम पंचायत मांची तहसील करौली

दिनांकः— 6/6/25

—::निर्णय::—

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि निर्णय दिनांक 20/5/2000 बाबत नामान्तकरण संख्या 570 ग्रम मांची तहसील करौली अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मांची रेस्पॉडेन्ट नं. 11 खिलाफ कानून रूहेदाद मिसल है और विधि विरूद्व है निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 20/5/2000 बाबत नातान्तकरण संख्या 570 ग्राम मांची तहसील करौली अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मांची पूर्णतया आरबीट्रेरी है परिवरिस रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 10 है विधि विरूद्व है और निरस्त किये जाने योग्य है। जेर अपील नामान्तकरण मृतक मु0 सरदारबाई बेवा अभयसिंह जाति राजपूत निवासी मांची की विरासत का दर्ज किय गया है जिसमें पटवारी हल्का द्वारा सरादारबाई का सजरा गलत तौर पर फर्जी तरीके से कूटरचित दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 4 मृतक बद्रीसिंह, नारायणसिंह मृतक सरादार बाई के वारिसान नही है वल्कि वह भौरूसिंह पुत्र गोपालसिंह के वारिसान है गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का द्वारा मृतक सरादारबाई के वारिसान की जांच नही की गयी है और अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मांची द्वारा भी मृतक सरदारबाई के वारिसान की जांच नही की गयी है और जेर अपील नामान्तकरण एक दिन में सारी अवैध कार्यवाही कर कर जेर अपील निर्णय दिनांक 20/5/2000 से स्वीकार विधि विरूद्व रूप से बिना अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर व नोटिस दिया किया गया है जो विधि विरूद्व है न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है एकपक्षीय है और निरस्त किये जोन योग्य है ओर पत्रावली पुनः सुनवाई को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जोन योग्य है। मृतक सरदारबाई बेवा अभयसिंह जाति राजपूत निवाासी मांची के वैध वारिसान अपीलान्ट है। भैरूसिंह व अभयसिंह का पत्र नही है। रेस्पोडेन्ट का मृतक सरदारबाई से कोई सम्बन्ध नही है ना ही रेस्पोडेन्ट मृतक सरदारबाई के वारिसान है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 4 व मृतक बद्रीसिंह, नारयणसिंह ने पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत मांची से साज कर कर कूटरचित खसरा नम्बर 799 रकबा 18 विस्वा ग्राम मांची तहसील करौली को हडपने की बदनियति से धोखा पूर्ण कार्यवाही कर कर एवं अपीलान्ट को धोखा देकर मृतक सरदारबाई के फर्जी वारिसान बनकर जेर अपील नामान्तकरण दिनांक 20/5/2000 के निर्णय से ग्राम पंचायत मांची से विधि विरूद्व रूप से यह जानते हुऐ कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 4 व मृतक बद्रीसिंह, नारायणसिंह, सरदारबाई के वारिसान नही है फर्जी तरीके से नामान्तकरण स्वीकृत कराया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील नामान्तकरण की जानकारी अपीलन्ट को दिनांक 27/7/16 को पटवारी हल्का से खसरा नम्बर 799 की नकल जमाबंदी के.सी.सी पत्रावली के लिए लेने जाने पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त खसरा नं. 799 की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 570 रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 4 व बद्रीसिंह, नारायणसिंह के नाम दर्ज होने की

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

ही करने पर दिनांक 29/7/16 को नकल नामान्तकरण प्राप्त होने पर हुयी है इससे पूर्व अपीलान्टा को जैर अपील नामान्तकरण की जानकारी नही रही है इसलिए जानकारी के अभाव में दिनांक 20/5/2000 से दिनांक 27/7/16 तक का समय माप कर कन्डोन किये जाने योग्य है जानकारी दिवस दिनांक 27/7/16 से अपील अपीलान्टा अन्दर म्याद प्रस्तुत है धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र दिनांक 20/5/2000 से दिनांक 27/7/16 तक के समय को कन्डोन किये जाने के लिए मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। अंत अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेपोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेपोडेन्ट ने एतराज अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा निर्णय दिनांक 20.05.2000 बावत नामान्तकरण संख्या 570 ग्राम मांची तहसील करौली बावत गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा कानूनन विधि अनुकूल व सही किया है। जो किसी भी प्रकार निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। अपील नामान्तकरण मृतक सरदार बाई बेवा अभय सिंह जाति राजपूत निवासी मॉची की विरासत का सह सजरा दर्ज कर पेश किया गया है। पटवारी गिरदावर द्वारा वारिसान की जॉच कर ग्राम पंचायत मीटिंग में सभी सदस्यों की उपस्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों को ध्यान में रखकर किया गया है। अपीलान्ट का सरदार बाई बेवा अभय सिंह से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध कभी नहीं रहा हैं सरदार बाई अभय सिंह की बेवा थी अभय सिंह हमारे पूर्व रहे है सरदार बाई लाऔलाद फौत हुई है उनके हमजायज वारिसान हैं अपीलान्ट को किसी भी प्रकार का कोई हक नामान्तकरण संख्या 570 को चैलेंज करने का नहीं हैं। सजरा अपीलान्ट द्वारा गलत पेश किया हैं अपीलान्ट का सजरा सिडयूल ए व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 का सजरा सिडयूल बी अलग से पेश हैं। मुताबिक सजरा पटवारी हल्का व गिरदावर व सरपंच ग्राम पंचायत मॉची ने हम भोरूसिंह के वारिसान के नाम विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही ग्राम सभा में सभी सदस्यों एवं आम नागरिक ग्रम पंचायत से जानकारी कर सभी की सहमति से सभी सदस्यों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत की मीटिंग में किया गया हैं जो विधि अनुकूल हैं अपीलान्ट का किसी भी प्रकार का कोई हक सरदार बाई की भूमि पर कभी नही रहा हैं पर्चा सैटिलमेन्ट सम्वत् 2015 ये यन्चत 2034 खाता नं.0 435 आराजी खसरा नम्बर 1549 रकवा 1 बीघा खुद काश्त भौरूसिंह बल्द गोपाल दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें अपीलान्ट व हम रेस्पोडेन्ट के सभी पूर्वजों का जिनके वारिसान अपीलान्टइ बनकर आये हैं का नाम मौजूद है गिरदावरी सिल्प सम्वत 2012 ग्राम मॉची खसरा नम्बर 799, 1549, 1550, 1269 इत्यादि की एवं पर्चा सैटिलमेन्ट सम्वत 2015 से 2034 खाता संख्या 579 खसरा नम्बर 799 जिसमें सरादार बाई वेवा अभीय सिंह व भौरूसिंह बल्द गोपालसिंह दर्ज रिकार्ड हैं जो उनके खुद काश्त की है। जिनकी छाया प्रति सबूतन एतराज के साथ प्रस्तुत हैं। उक्त दस्तावेज करीब 60 वर्ष पुराने हैं जिनके फर्जी होने का व कूटरचित होने का कोई प्रश्न नही हैं। अपीलान्ट को उक्त तथ्य की पहले से ही सम्पूर्ण जानकारी रही हैं अपीलान्ट यह जानते हुए कि वह सरदारबाई के वारिसान नही हैं फिर भी फर्जी तरीके से वारिस बनकर मुकदमा पेश किया है। अपीलान्ट ने दिनांक 27.02.2016 को व 29.07.2016 को जानकारी होने वाली बात कतई गलत दर्ज की हैं ग्राम पंचायत मीटिंग के दिन जिस दिन नामान्तकरण हुआ उसी दिन से यानि 20.05.2000 से जानकारी रही है। अपील अपीलान्ट द्वारा 16 वर्ष बाद अपील पेश करने का कोई उचित कारण नही लिखा हैं अपीलान्ट द्वारा जो कारण लिखा गया है वह विश्वसनीय नही हैं और इतना विलम्ब कानून कण्डोन नही किया जा सकता हैं। मुताबिक सजरा औगरसिंह के चार पुत्र थे जिनमें से केवल भौरूसिंह उर्फ मेघसिंहके पौत्राों द्वारा ही अपील पेश की गई है वेरिसाल सिंह, शिब्बूसिंह, चतरसिंह पिसरान औगरसिंह के वारिसान जिन्दा हैं जो सजरा सिडयूल ए में दर्ज हैं वह आवश्यक पक्षकार हैं अपीलान्ट द्वारा औगरसिंह के वारिसान को ही छुपाया हैं और अभय सिंह को औगरसिंह को पुत्र होना कतई गलत दर्ज किया हैं जो केवल मात्र अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि को हडपने के लिए किय गया हैं अपीलान्ट स्वयं फर्जी हैं और

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

फर्जकारी कर अपील पेश की हैं अभय सिंह का औगरसिंह से किसी प्रकार का कोई संबंध कभी नही रहा है। अपीलान्ट संख्या 11 उक्त भूमि पर बीसीयो वर्ष से बतौर साझेदार अपीलान्ट सं0 1 ता10 रहकर काबिज रहा हैं उक्त भूमि गांव से काफी दूरी पर डंगरिया में स्थित है हम अपीलान्ट सं0 1 ता 10 उक्त भूमि पर अपने पूर्वज भौरूसिंह पुत्र गोपाल सिंह के समय से काबिज काश्त हैं हमारा कब्जा व खातेदारी पुश्तैनी है अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोइ लेना देना नही हैं रेस्पोडेन्ट सं0 11 ने खरीद के बाद उक्त भूमि में लाखों रूपयें की लागत लगााकर बोर कराया हैं व दो मकान पक्के रेस्पोडेन्ट व उसके पुत्रों के बन चुके हैं व रेस्पोडेन्ट संख्या 11 मेघराम का 100 ट्रोली खण्डे पडे हुए हैं पत्थर की कोटरी चारों और रेस्पोडेन्ट द्वारा बनाई गई है चूकि सरदारबाई बेवा अभय सिंह हम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 9 के पितामह व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 10 के ससुर भौरू सिंह से उम्र में काफी बडी थी और उनके कोई संतान नहीं थी तो वह भोरू सिंह से उम्र में काफी बडी थी और उनके कोई संतान नहीं थी तो वह भौरू सिंह को ही अपना पुत्र मानकर पुत्रवत व्यवहार करती थी और हमारे अलावा अन्य कोई सरदारबाई का वारिस नहीं था। सरदारबाई मरणोपरान्त तक भौरू सिंह हमारे परमपिता के साथ ही रही उनकी सेवा चाकरी भी भौरू सिंह के द्वारा ही की गई थी उनके सारे क्रियाकर्म भी भोरूसिंह के द्वारा ही किये गये थे। गांव में सभी लोग यह जानते थे कि भौरू सिंह सरदार बाई के ही पुत्र हैं क्योंकि वह भोरू सिंह के साथ पुत्रवत व्यवहार करती थी। भौरूसिंह हमारे पूर्वज व हम रेस्पोडेन्ट वगैर पढे लिखे सीधे सादे व्यक्ति रहे हैं। अपीलान्ट व उनका खानदान शुरू से चतुर चालाक रहा है। अपीलान्ट व उनका खानदान शुरू से चतुर चालाक रहा है। अपीलान्ट के चाचा देवी सिंह व अपीलान्ट ने हमारे सीधेपन का फायदा उड़ाकर हमारे जागीरदारी की जमीनों को माफी, जागीर जब्त होने पर जमीनों को मुआवजा मिलना था जो अज्ञानतावश भौरूसिंह समय पर नहीं ले पाये और अपीलान्टस संख्या 3 व 4 के पिता का नाम भी भौरूसिंह होने की वजह से अपीलान्ट ने इस बात का नाजायज फायदा उठाकर गलत रूप से हम लोगों से व भोरू सिंह से छुपाते हुए मृतक सरदारबाई जो हमारी पूर्वज थी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर मुआवजा उठा लिया जिसकी हम आज तक भनक तक नहीं लगने दी। उक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपीलान्ट ने पत्रावली में पेश की है तब हमउ क्त प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी हुई है उक्त प्रमाण पत्र हमारे हकूकों पर बाध्यकारी नहीं है और शुन्य है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट के विरूद्व अलग से फर्जकारी कर मृतक सरदारबाई के नाम जारी बॉण्डों को भुगतान प्राप्त करने के एवज में मुकदमा दर्ज कराया जावेगा। अपीलान्ट ने दिनांक 27/02/2016 को उक्त नामान्तकरण की जानकारी करने की बात कतई गलत दर्ज की है अपीलान्ट को शुरू से उक्त नामान्तकरण की जानकारी रही है। फिर भी अपीलान्ट ने 6 महिने बाद नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया है। इन तथ्यों को देखते हुए भी अपीलान्ट के कथनों पर विश्वास कर भी लिया जाये तो अपील अपीलान्ट 6 माह बाद म्याद बाहर प्रस्तुत की है जिसका कोई स्पष्टीकरण या विश्वसनीय कारण अपील में अपीलान्ट द्वारा दर्ज नहीं किया है। वर्तमान में विवादित भूमि पर वहैसियत खातेदारी काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 11 काबिज है एवं अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और काश्यत कर रहा है उसने लाखों रूप्ये की लागत उक्त भूमि में लगाा दी है। चवर सिंह, मातवर सिंह, बाबूसिंह, चंदन सिंह का ना तो कभी कोढ कबजा करा ह ना ही कभी अपीलान्ट द्व काश्त किया गया है अपीलान्ट ने फर्जी तरीके से अभीय सिंह को औगर सिंह का पुत्र बताया है जो हमारी जमीन को हडपने की दृष्टि से जानबूझकर किया गया कृत्य है यह जानते हुए िकवह अभय सिंह के वारिसान नहीं है किया गया है। अपीलान्ट के उक्त कृत्यों के लिये अपीलान्ट के विरूद्व धारा 340 सी0आर0पी0सी0 के तहत न्यायालय द्वारा मुकदमा अलग से दर्ज कराना व कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है अपील अपीलान्ट विशेष हर्जे के साथ खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

वकील अपीलांट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि निर्णय दिनांक 20/5/2000 बाबत नामान्तकरण संख्या 570 ग्राम मांची तहसील करौली अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मांची रेस्पॉडेन्ट नं. 11 खिलाफ कानून रूहेदाद मिसल है और विधि विरूद्ध है निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 20/5/2000 बाबतत नातान्तकरण संख्या 570 ग्राम मांची तहसील करौली अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मांची पूर्णतया आरबीट्रेरी है परिवरिस रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 10 है विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। जैर अपील नामान्तकरण मृतक मु0 सरदारबाई बेवा अभयसिंह जाति राजपूत निवासी मांची की विरासत का दर्ज किय गया है जिसमें पटवारी हल्का द्वारा सरादारबाई का सजरा गलत तौर पर फर्जी तरीके से कूटरचित दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 4 मृतक बद्रीसिंह, नारायणसिंह मृतक सरादार बाई के वारिसान नही है बल्कि वह भौरूसिंह पुत्र गोपालसिंह के वारिसान है गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का द्वारा मृतक सरादारबाई के वारिसान की जांच नही की गयी है ओर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मांची द्वारा भी मृतक सरदारबाई के वारिसान की जांच नही की गयी है और जेर अपील नामान्तकरण एक दिन में सारी अवैध कार्यवाही कर कर जैर अपील निर्णय दिनांक 20/5/2000 से स्वीकार विधि विरूद्व रूप से बिना अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर व नोटिस दिया किया गया है जो विधि विरूद्व है न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है एकपक्षीय है और निरस्त किये जोन योग्य है और पत्रावली पुनः सुनवाई को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जोन योग्य है। मृतक सरदारबाई बेवा अभयसिंह जाति राजपूत निवासी मांची के वैध वारिसान अपीलान्ट है। भैरूसिंह व अभयसिंह का पत्र नही है। रेस्पोडेन्ट का मृतक सरदारबाई से कोई सम्बन्ध नही है ना ही रेस्पोडेन्ट मृतक सरदारबाई के वारिसान है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 4 व मृतक बद्रीसिंह, नारयणसिंह ने पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत मांची से साज कर कर कूटरचित खसरा नम्बर 799 रकवा 18 बिस्वा ग्राम मांची तहसील करौली को हडपने की बदनियति से धोखा पूर्ण कार्यवाही कर कर एवं अपीलान्ट को धोखा देकर मृतक सरदारबाई के फर्जी वारिसान बनकर जैर अपील नामान्तकरण दिनांक 20/5/2000 के निर्णय से ग्राम पंचायत मांची से विधि विरूद्व रूप से यह जानते हुऐ कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 4 व मृतक बद्रीसिंह, नारायणसिंह, सरदारबाई के वारिसान नही है फर्जी तरीके से नामान्तकरण स्वीकृत कराया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील नामान्तकरण की जानकारी अपीलन्ट को दिनांक 27/7/16 को पटवारी हल्का से खसरा नम्बर 799 की पकल जमाबंदी के.सी.सी पत्रावली के लिए लेने जाने पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त खसरा नं. 799 की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 570 रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 4 व बद्रीसिंह, नारायणसिंह के नाम दर्ज होने की कहने पर अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार से नामान्तरकण न. 570 का नकल आवेदन दिनांक 27/2/16 को ही करने पर दिनांक 29/7/16 को नकल नामान्तकरण प्राप्त होने पर हुयी है इससे पूर्व अपीलान्टा को जैर अपील नामान्तकरण की जानकारी नही रही है इसलिए जानकारी के अभाव में दिनांक 20/5/2000 से दिनांक 27/7/16 तक का समय माप कर कन्डोन किये जाने योग्य है जानकारी दिवस दिनांक 27/7/16 से अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद प्रस्तुत है। जिसके संबंध में प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम भी अपील के साथ मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपनील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतकरण पुनः सुनवाई को रिमाण्ड किया जावे।

बहस रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा निर्णय दिनांक 20.05.2000 बावत नामान्तकरण संख्या 570 ग्राम मांची तहसील करौली बावत गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की हैं। नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा कानूनन विधि अनुकूल व सही किया है। जो किसी भी प्रकार निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। अपील नामान्तकरण मृतक सरदार बाई बेवा अभय सिंह जाति राजपूत निवासी मॉची की विरासत का सह सजरा दर्ज कर पेश किया गया है। पटवारी गिरदावर द्वारा वारिसान की जॉच कर ग्राम पंचायत मीटिंग में सभी सदस्यों की उपस्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों को ध्यान में रखकर किया गया है। अपीलान्ट का सरदार बाई बेवा अभय सिंह से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध कभी नही रहा हैं

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

सरदार बाई अभय सिंह की बेवा थी अभय सिंह हमारे पूर्व रहे है सरदार बाई लाऔलाद फौत हुई है उनके हमज यज वारिसान हैं अपीलान्ट को किसी भी प्रकार का कोई हक नामान्तकरण संख्या 570 का चैलेंज करने का नहीं हैं। सजरा अपीलान्ट द्वारा गलत पेश किया हैं अपीलान्ट का सजरा सिडयूल ए व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 का सजरा सिडयूल बी अलग से पेश हैं। मुताबिक सजरा पटवारी हल्का व गिरदावर व सरपंच ग्राम पंचायत मॉची ने हम भोरूसिंह के वारिसान के नाम विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही ग्राम सभा मे सभी सदस्यों एवं आम नागरिक ग्राम पंचायत से जानकारी कर सभी की सहमति से सभी सदस्यों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत की मीटिंग में किया गया हैं जो विधि अनुकूल हैं अपीलान्ट का किसी भी प्रकार का कोई हक सरदार बाई की भूमि पर कभी नही रहा हैं पर्चा सैटिलमेन्ट सम्वत 2015 व सवत 2034 खाता नं.0 435 आराजी खसरा नम्बर 1549 रकबा 1 बीघा खुद काश्त भौरूसिंह बल्द गोपाल दर्ज रिकार्ड है जिसमें अपीलान्ट व हम रेस्पोडेन्ट के सभी पूर्वजों का जिनके वारिसान अपीलान्ट बनकर आये हैं का नाम मौजूद है गिरदावरी सम्वत 2012 ग्राम मॉची खसरा नम्बर 799, 1549, 1550, 1269 इत्यादि की एव पर्चा सैटिलमेन्ट सम्वत 2015 से 2034 खाता संख्या 579 खसरा नम्बर 799 जिसमें सरादार बाई वेवा अभय सिंह व भौरूसिंह बल्द गोपालसिंह दर्ज रिकार्ड हैं जो उनके खुद काश्त की है। जिनकी छाया प्रति सबूतन एतराज के साथ प्रस्तुत हैं। उक्त दस्तावेज करीब 60 वर्ष पुराने हैं जिनके फर्जी होने का व कूटरचित होने का कोई प्रश्न नही हैं। अपीलान्ट को उक्त तथ्य की पहले से ही सम्पूर्ण जानकारी रही हैं अपीलान्ट यह जानते हुए कि वह सरदारबाई के वारिसान नही हैं फिर भी फर्जी तरीके से वारिस बनकर मुकदमा पेश किया है। अपीलान्ट ने दिनांक 27.02.2016 को व 29.07.2016 को जानकारी होने वाली बात कतई गलत दर्ज की हैं ग्राम पंचायत मीटिंग के दिन जिस दिन नामान्तकरण हुआ उसी दिन से यानि 20.05.2000 से जानकारी रही है। अपील अपीलान्ट द्वारा 16 वर्ष बाद अपील पेश करने का कोई उचित कारण नही लिखा हैं अपीलान्ट द्वारा जो कारण लिखा गया है वह विश्वसनीय नही हैं और इतना विलम्ब कानून कण्डोन नही किया जा सकता हैं। मुताबिक सजरा औगरसिंह के चार पुत्र थे जिनमें से केवल भौरूसिंह उर्फ मेघसिंहके पौत्राों द्वारा ही अपील पेश की गई है वेरिसाल सिंह, शिब्बूसिंह, चतरसिंह पिसरान औगरसिंह के वारिसान जिन्दा हैं जो सजरा सिडयूल ए में दर्ज हैं वह आवश्यक पक्षकार हैं अपीलान्ट द्वारा औगरसिंह के वारिसान को ही छुपाया हैं और अभय सिंह को औगरसिंह को पुत्र होना कतई गलत दर्ज किया हैं जो केवल मात्र अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि को हडपने के लिए किय गया हैं अपीलान्ट स्वयं फर्जी हैं और फर्जकारी कर अपील पेश की हैं अभय सिंह का औगरसिंह से किसी प्रकार का कोई संबंध कभी नही रहा है। अपीलान्ट संख्या 11 उक्त भूमि पर बीसीयो वर्ष से बतौर साझेदार अपीलान्ट सं0 1 ता 10 रहकर काबिज रहा हैं उक्त भूमि गांव से काफी दूरी पर डंगरिया में स्थित है हम अपीलान्ट सं0 1 ता 10 उक्त भूमि पर अपने पूर्वज भौरूसिंह पुत्र गोपाल सिंह के समय से काबिज काश्त हैं हमारा कब्जा व खातेदारी पुश्तैनी है अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोइ लेना देना नही हैं रेस्पोडेन्ट सं0 11 ने खरीद के बाद उक्त भूमि में लाखों रूपयें की लागत लगाकर बोर कराया हैं व दो मकान पक्के रेस्पोडेन्ट व उसके पुत्रों के बन चुके हैं व रेस्पोडेन्ट संख्या 11 मेघराम का 100 ट्रोली खण्डे पडे हुए हें पत्थर की कोटरी चारों और रेस्पोडेन्ट द्वारा बनाई गई है चूकि सरदारबाई बेवा अभय सिंह हम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 9 के पितामह व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 10 के ससुर भौरू सिंह से उम्र में काफी बडी थी और उनके कोई संतान नहीं थी तो वह भोरू सिंह से उम्र में काफी बडी थी और उनके कोई संतान नहीं थी तो वह भौरू सिंह को ही अपना पुत्र मानकर पुत्रवत व्यवहार करती थी और हमारे अलावा अन्य कोई सरदारबाई का वारिस नहीं था। सरदारबाई मरणोपरान्त तक भौरू सिंह हमारे परपिता के साथ ही रही उनकी सेवा चाकरी भी भौरू सिंह के द्वारा ही की गई थी उनके सारे क्रियाकर्म भी भोरूसिंह के द्वारा ही किये गये थे। गांव में सभी लोग यह जानते थे कि भौरू सिंह सरदार बाई के ही पुत्र हैं क्योंकि वह भोरू सिंह के साथ पुत्रवत व्यवहार करती थी। भौरूसिंह हमारे पूर्वज व हम रेस्पोडेन्ट वगैर पढे लिखे सीधे सादे व्यक्ति रहे हैं। अपीलान्ट व उनका खानदान शुरू से चतुर चालाक रहा है। अपीलान्ट व उनका खानदान शुरू से चतुर चालाक रहा है। अपीलान्ट के चाचा देवी सिंह व अपीलान्ट ने हमारे सीधेपन का फायदा हमारे जागीरदारी की जमीनों को माफी, जागीर जब्त होने पर जमीनों को मुआवजा मिलना था जो अज्ञानतावश भौरूसिंह समय पर नहीं ले पाये और अपीलान्टस संख्या 3 व 4 के पिता का नाम भी भौरूसिंह होने की वजह से अपीलान्ट ने इस बात का नाजायज फायदा उठाकर गलत रूप से हम लोगों से व भोरू सिंह से छुपाते हुए मृतक सरदारबाई जो हमारी पूर्वज थी का फज्री प्रमाण पत्र बनवाकर मुआवजा उठा लिया जिसकी हम आज तक भनक तक नहीं लगने दी। उक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपीलान्ट ने पत्रावली में पेश की है तब हमउ क्त प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी हुई है उक्त प्रमाण पत्र हमारे हकूकों पर बाध्यकारी नहीं है और शुन्य है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट के विरूद्व अलग से फर्जकारी कर मृतक सरदारबाई के नाम जारी बॉण्डों को भुगतान प्राप्त करने के एवज में मुकदमा दर्ज कराया जावेगा। अपीलान्ट ने दिनांक 27/02/2016 को उक्त नामान्तकरण की जानकारी करने की बात कतई गलत दर्ज की है अपीलान्ट को शुरू से उक्त नामान्करण की जानकारी रही

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

के एवज में मुकदमा दर्ज कराया जावेगा। अपीलान्ट ने दिनांक 27/02/2016 को उक्त नामान्तकरण की जानकारी करने की बात कतई गलत दर्ज की है अपीलान्ट को शुरू से उक्त नामान्करण की जानकारी रही है। फिर भी अपीलान्ट ने 6 महिने बाद नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया है। इनत थ्यों को देखत हुए भी अपीलान्ट के कथनों पर विश्वास कर भी लिया जाये तो अपील अपीलान्ट 6 माह बाद म्याद बाहर प्रस्तुत की है जिसका कोई स्पष्टीकरण या विश्वसनीय कारण अपील में अपीलान्ट द्वारा दर्ज नहीं किया है। वर्तमान में विवादित भूमि पर वहैसियत खातेदारी काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 11 काबिज है एवं अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और काश्यत कर रहा है उसने लाखों रूप्ये की लागत उक्त भूमि में लगाा दी है। चवर सिंह, मातवर सिंह, बाबूसिंह, चंदन सिंह का ना तो कभी कोठ कबजा करा है ना ही कभी अपीलान्ट द्व काश्त किया गया है अपीलान्ट ने फर्जी तरीके से अभीय सिंह को औगर सिंह का पुत्र बताया है जो हमारी जमीन को हडपने की दृष्टि से जानबूझकर किया गया कृत्य है यह जानते हुए कि वह अभय सिंह के वारिसान नहीं है किया गया है। अपीलान्ट के उक्त कृत्यों के लिये अपीलान्ट के विरूद्व धारा 340 सी0आर0पी0सी0 के तहत न्यायालय द्वारा मुकदमा अलग से दर्ज कराना व कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है अपील अपीलान्ट विशेष हर्जे के साथ खारिज की जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर विवेचन किया गया। प्रकरण में नामांतरकरण नंबर 570 ग्राम मांची मृतक सरदार बाई बेवा अभय सिंह का स्वीकृत किया गया है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य सरदार बाई के वारिस होने का विवाद है। इस संबंध में अपीलांट व रेस्पोडेट द्वारा अलग–अलग सजरा पत्रावली में प्रस्तुत किये गये है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ दिनांक 6.11.79 का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कार्यालय उपखण्ड अधिकारी करौली (जागीर) का प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मृतक सरदार बाई के वारिस अपीलांट को माना गया है। इसके विपरीत रेस्पोंडेन्ट ने पत्रावली में औरंग सिंह का सजरा पेश किया गया है लेकिन कोई दस्तावेज सजरा के संबंध में पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। दोनों पक्षों के मध्य सरदार बाई के वारिस होने का विवाद है। इसलिए नामांतकरण नंबर 570 दिनांक 20.05.2000 को पुनः सुनवाई के लिए व मृतक सरदार बाई के वारिस संबंधी साक्ष्य उभयपक्ष की लिये जाने के लिए पत्रावली नामांतकरण तहसीलदार, करौली को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। नामांतकरण नंबर 570 दिनांक 20.05.2000 ग्राम मांची तहसील करौली निरस्त किया जाता है। पत्रावली नामांतकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार, करौली को रिमाण्ड की जाती है। तहसीलदार, करौली को आदेश दिये जाते है कि मृतक सरदार बाई बेवा अभयसिंह जाति राजपूत निवासी मांची के वारिसान की विधिवत जांच कर एवं अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट की साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण व नामांतकरण का पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, करौली को पालनार्थ भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक ......6/10/25....... खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)

उपखण्ड अधिकारी

करौली

उपखण्ड अधिकारी

करौली (राज0)